वर्ष.................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/24	वकुलाय उप.। अप्रार्थी नं. 6 की ओर से जवाब पेश हुआ। नकल दिलायी गयी। शेष अप्रार्थीगण के जवाब पत्रावली दिनांक 5/8/24 को पेश हो।	
5-8-2024	मुकदमा नम्बर– 658/2023 महावीर प्रसाद बनाम गिरधारी वगै0 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार गोठवाल एडवोकेट उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 व 8 की ओर से जवाब पेश किया। नकल प्रार्थी वकील को दिलायी गयी। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकुलाय उभय पक्षों ने बताया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है, जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। उभय पक्षकारान को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई से पाबन्द किया हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायहीत में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है की पूर्व में दिनांक 17.07.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्न हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.03.26 11:36:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner